कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,उत्तराखण्ड़ देहरादून।

E-Mail ID: nodalfca.forest@uk.gov.inPhone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक-2220/12-1: देहरादूनः दिनांकः 03 जून ~~मई~~, 2026

सेवा में,

उप वन महानिरीक्षक (के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद चमोली में सिमली से नाखोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.632 है0 वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। प्र0सं0(FP/UK/Road/146449/2021)

सन्दर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षे.क., देहरादून के पत्रांक–8बी/यू0सी0पी0/06/97/2025/एफ0सी0, दिनांक 23.12.2025

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून द्वारा कतिपय 07 बिन्दुओं सूचना चाही गयी थी जिसका प्रतिउत्तर प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी ने अपने पत्रांक संख्या–2870/12–1 दिनांक 12.05.2026 के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा चाही गयी कतिपय बिन्दुओं की सूचना/निराकरण आख्या मय संलग्नकों के संलग्न कर निम्नानुसार प्रेषित हैः–

क्र0सं0	चाही गयी सूचना	निराकरण आख्या
1	As per the DSS analysis of the diversion area, the area has been calculated as 1.53 ha insted of the proposed 1.632 ha. Clarification in this regard is required.	प्राप्त आख्यानुसार प्रस्तावक विभाग द्वारा वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी के द्वारा अवगत कराया गया है कि मार्ग की कुल लम्बाई 2.15 कि0मी0 है, जिसमें प्रस्तावित क्षेत्र में मात्र 1.940 कि0मी0 मार्ग ही प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित है, शेष नाम भूमि के अन्तर्गत है प्रत्यावर्तित होने वाले क्षेत्र में से (1.358 है0 वन भूमि मोटर मार्ग में तथा 0.274 है0 वन भूमि मक डम्पिंग में प्रभावित हो रही है)। इस प्रकार कुल 1.632 हे0 वन भूमि प्रस्तावित है। स्वीकृत संरेखण के अनुसार के0एम0एल0 में 1.632 है0 प्रदर्शित किया गया है।
2	A complete KML file of the proposed road alignment, clearlu indicate both forest land and non-forest land, is required to be submitted.	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या द्वारा अवगत कराया गया है कि के0एम0एल में प्रस्तावित संरेखण में वन भूमि एवं गैर वन भूमि को भिन्न भिन्न रंग से प्रर्शित कर दिया गया है।
3	It is seen that only one alternative alignment has been provided. The User Agancy shall therefore submit at least two alternative alignments along with their comparative statement.	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या के साथ प्रस्तावित संरेखण के साथ दो वैकल्पिक संरेखण की के0एम0एल0 एवं तुलनात्मक विवरण संलग्न कर प्रेषित कर दिया गया है। **संलग्नक–1**
4	It is observed that the muck dumping sites have been proposed exclusively on forest land. In this regard, a detailed report from the DFO concerned, examining the feasability of identifying muck dumping sites on non-forest land, shall be submitted.	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी द्वारा प्रेषित आख्यानुसार अवगत कराया गया है कि प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा मक डम्पिंग स्थलों का निरीक्षण किया गया है जिसकी आख्या संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। निरीक्षण में पाया गया है कि उक्त ग्राम में भूमिधरों पर पास नाप भूमि काफी कम है जिस कारण मक डम्पिंग स्थलों को वन भूमि में प्रस्तावित किया गया है। **संलग्नक–3**
5	Further, the muck dumping areas are not properly marked in the KML file. A revised KML file clearly indicating the muck dumping sites is required.	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी द्वारा प्रेषित आख्यानुसार अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता विभाग द्वारा के0एम0एल0 में मलवा निस्तारण स्थलों को प्रदर्शित कर दिया गया है।
6	Before taking over the compensatory afforestation (CA) land, the State Forest	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है। **संलग्नक–2**

Gen Lett.

	Department shall ensure that the CA has properly fensed by the User Agency. The User Agency shall also submit an undertaking to this effect.	
7	The suitability certificate for the proposed CA land has not been submitted. It is requisted to submit the site suitability certificate of CA land.	प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा अपने पत्रांक—5044 / 12—1 दिनांक 23.4.2026 के माध्यम से क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। **संलग्नक—4**

अतः वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी द्वारा प्रेषित निराकरण आख्या / प्रतिउत्तर के क्रम में प्रकरण को इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संर्वधन) अधिनियम, 2023 के अन्तर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्न—यथोपरि।

भवदीय,

(मीनाक्षी जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 2210 / 12-1/ **तद्‌दिनांकित।**

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थराली।

(मीनाक्षी जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-Mail ID cfgarhwalp@gmail.com, cfgarhwal555@gmail.com, Phone/Fex 01368-222566

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी

पत्रांकः– 2870 / 12–1 दिनांक, पौड़ी, मई 12, ,2026.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

विषय– **जनपद चमोली में सिमली से नाखोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.632 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।**

प्रस्ताव सं0– FP/UK/ROAD/146449/2021

सन्दर्भ– **भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक 8 बी/यू0सी0पी0/06/97/2025/एफ0सी0 दिनांक 23.12.2025**

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा अपने पत्रांक 5044/12–1 दिनांक 23.04.2026 से अवगत कराया गया है कि विषयांकित प्रकरण में चाही गई 07 बिन्दुओं की सूचना प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने पत्रांक 256/36सी0 दिनांक 13.02.2026 से प्रभागीय कार्यालय को उपलब्ध कराई गई, जो निम्नप्रकार प्रेषित है।

क्र0	चाही गई सूचना	उत्तरालेख
1	As per the DSS analysis of the diversión area, the area has been calculated as 1.53 ha insted of the proposed 1.632 ha. Clarification in this regard is required.	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर के माध्यम से अवगत कराया गया है कि मार्ग की कुल लम्बाई 2.15 किमी0 है, जिसमें वन भूमि 1.940 किमी0 (1.358 है0 वन भूमि मोटर मार्ग हेतु तथा 0.274 है0 वन भूमि मक डम्पिंग हेतु) प्रभावित हो रही है। 0.210 किमी0 मोटर मार्ग नाप भूमि से गुजर रहा है। स्वीकृत संरेखण के अनुसार के0एम0एल0 में 1.632 है0 प्रदर्शित कर दिया गया है।
2	A complete KML file of the proposed road alignment, clearly indicating both forest land and non-forest land, is required to be submitted.	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर के माध्यम से अवगत कराया गया है कि के0एम0एल0 में प्रस्तावित संरेखण में वन भूमि एवं गैर वन भूमि को भिन्न–भिन्न रंग से प्रदर्शित कर दिया गया है।
3	It is seen that only one alternative alignment has been provided. The User Agancy shall therefore submit at least two alternative alignments along with their comparative statement.	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित संरेखण के साथ दो वैकल्पिक संरेखण की के0एम0एल0 एवं तुलनात्मक विवरण संलग्न कर प्रेषित कर दिया गया है। **(संलग्नक–01)**
4	It is observed that the muck dumping sites have been proposed exclusively on forest land. In this regard, a detailed report from the DFO concerned, examining the feasability of identifying muck dumping sites on non-forest land, shall be submitted.	प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा अपने पत्रांक 5044/12–1 दिनांक 23.04.2026 से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मक डम्पिंग स्थलों का निरीक्षण किया गया है, जिसकी आख्या संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। निरीक्षण में पाया गया है कि उक्त ग्राम में भूमिधरों के पास नाप भूमि काफी कम है जिस कारण मक डम्पिंग स्थलों को वन भूमि में प्रस्तावित किया गया है। **(संलग्नक–03)**
5	Further, the muck dumping areas are not properly marked in the KML file. A revised KML file clearly indicating the muck dumping sites is required.	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर के माध्यम से अवगत कराया गया है कि के0एमल0एल0 फाईल में मलवा निस्तारण स्थलों को प्रदर्शित कर दिया गया है।

क्रमशः पेज 02 पर

प्रभारी–चमोली
आ.का.
अनु.अ./नो.
25-5-26

JAIDEEP

आर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून
पंजी0 सं0 4182
पत्रावली 127
25-05-26

6	Before taking over the compensatory afforestation (CA) land, the State Forest Department shall ensure that the CA has properly fenced by the User Agency. The User Agency shall also submit anundertaking to this effect.	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ प्रभाग, गोपेश्वर के माध्यम से अवगत कराया गया है इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है **(संलग्नक–03)**
7	The suitability certificate for the proposed CA land has not been submitted. It is requisted to submit the site suitability certificate of CA land.	प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा अपने पत्रांक 5044/12–1 दिनांक 23.04.2026 से अवगत कराया गया है कि पूर्व से ही प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।

संलग्नकः– यथोपरि

भवदीय,

(आकाश कुमार वर्मा)
वन संरक्षक
गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी

पत्रांकः– 2870/12-1 **दिनांकित**

प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर को उपरोक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(आकाश कुमार वर्मा)
वन संरक्षक
गढ़वाल वृत्त,उत्तराखण्ड,पौड़ी।

JAIDEEP

28/4/26

।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।।

E-Mail:- dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in Phone No :- 01372-252175

पत्रांकः 5044 / 12-1 दिनांक, गोपेश्वर, अप्रैल 23 /2026

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषयः– जनपद चमोली में सिमली से नाखोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.632 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में
Online Proposal No- FP/UK/ROAD/146449/2021

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्र संख्या–8B/UCP/06/97/2025/FC, दिनांक–23.12.2025।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र से विषयांकित प्रकरण जनपद चमोली में सिमली से नाखोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.632 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में निम्नलिखित 7 बिन्दुओं पर सूचना चाही गयी थी, जिसका बिन्दुवार निराकरण कर प्रयोक्ता एजेंसी, लोक निर्माण विभाग थराली द्वारा अपने पत्रांक–259/36सी0, दिनांक–13.02.2026 से इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है, इस वन प्रभाग से वांछित सूचना तैयार कर निम्नानुसार प्रेषित की जा रही हैः–

क्र0सं0	चाही गयी सूचना	निराकरण आख्या
1	As per the DSS analysis of the diversion area, the area has been calculated as 1.53 ha insted of the proposed 1.632 ha. Clarification in this regard is required.	इस क्रम में सादर अवगत कराना है कि मार्ग की कुल लम्बाई 2.15 कि0मी0 है। जिसमें मात्र 1.940 कि0मी0 ही है(1.358 है0 वन भूमि मोटर मार्ग में तथा 0.274 है0 वन भूमि मक डम्पिंग में प्रभावित हो रही है।) एवं 0.210 कि0मी0 मोटर मार्ग नाप भूमि से गुजर रहा है। स्वीकृत संरेखण के अनुसार के0एम0एल0 में 1.632 है0 प्रदर्शित कर दिया गया है।
2	A complete KML file of the proposed road alignment, clearlu indicate both forest land and non-forest land, is required to be submitted.	के0एम0एल में प्रस्तावित संरेखण में वन भूमि एवं गैर वन भूमि को भिन्न भिन्न रंग से प्रर्शित कर दिया गया है।
3	It is seen that only one alternative alignment has been provided. The User Agancy shall therefore submit at least two alternative alignments along with their comparative statement.	प्रस्तावित संरेखण के साथ दो वैकल्पिक संरेखण की के0एम0एल0 एवं तुलनात्मक विवरण संलग्न कर प्रेषित कर दिया गया है। संलग्नक-01
4	It is observed that the muck dumping sites have been proposed exclusively on forest land. In this regard, a detailed report from the DFO concerned, examining the feasability of identifying muck dumping sites on non-forest land, shall be submitted.	प्रस्तावित मक डम्पिंग स्थलों का निरीक्षण किया गया है जिसकी आख्या संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। निरीक्षण में पाया गया है कि उक्त ग्राम में भूमिधरों पर पास नाप भूमि काफी कम है जिस कारण मक डम्पिंग स्थलों को वन भूमि में प्रस्तावित किया गया है। संलग्नक-03
5	Further, the muck dumping areas are not properly marked in the KML file. A revised KML file clearly indicating the muck dumping sites is required.	के0एम0एल0 में मलवा निस्तारण स्थलों को प्रदर्शित कर दिया गया है।
6	Before taking over the compensatory afforestation (CA) land, the State Forest Department shall ensure that the CA has properly fensed by the User Agency. The User Agency shall also submit an undertaking to this effect.	प्रमाणपत्र संलग्न कर दिया गया है। संलग्नक-02
7	The suitability certificate for the proposed CA land has not been submitted. It is requisted to submit the site suitability certificate of CA land.	पूर्व से ही प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है।

पृष्ठ–2 पर

अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा उपरोक्त चाही गयी सूचनाओं का बिन्दुवार निराकरण कर इस अनुरोध से प्रेषित किया जा रहा है कि आप अपन स्तर से प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नकः— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांकः— / **दिनांकित।**

प्रतिलिपिः— अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग थराली को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

वन संरक्षक
उत्तराखण्ड पौड़ी
9300
संख्या 12-1
28/4/26
पत्र किसको भेजा D/M

Received
07/3/2026

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग थराली

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, CON. DIV. PWD THARALI

email :- pwdtharali@gmail.com

पत्रांक 259 /36सी0 दिनांक 13/02/2026

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर।

विषयः— जनपद चमोली में सिमली से नाखोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.632 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग, थराली को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या – FP/UK/ROAD/146449/2021)

सन्दर्भः— भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र संख्या 8बी/यू0सी0पी0/06/97/2025/एफ0सी0 दिनांक – 23/12/2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग के क्रम मे अवगत कराना है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र में 7 बिन्दुओं पर सूचना चाही गयी थी, जो निम्नवत हैं।

क्र.सं.	चाही जा रही सूचना।	प्रस्तुत सूचना (आपत्तियों का निराकरण)
1	As per the DSS analysis of the diversion area, the area has been calculated as 1.53 ha instead of the proposed 1.632 ha. Clarification in this regard is required.	इस क्रम सादर अवगत कराना है कि मार्ग कि कुल लं0 2.15 किमी0 है। जिसमें मात्र 1.940 किमी0 (1.358 है0 वन भूमि मोटर मार्ग मे प्रभावित तथा 0.274 है0 मक डिस्पोजल में प्रभवित वन भूमि) में ही वन भूमि है एवं 0. 210 किमी0 में नाप भूमि प्रभावित है। स्वीकृत समरेखण के अनुसार के0एम0एल0 फाईल में 1.632 प्रदर्शित कर दिया गया है।
2	A complete KML file of the proposed road alignment, clearly indicating both forest land and non-forest land, is required to be submitted.	के0एम0एल0 फाईल में प्रस्तावित समरेखण में वन भूमि एवं गैर वन भूमि को प्रदर्शित कर दिया गया है।
3	It is seen that only one alternative alignment has been provided. The User Angecy shall therefore submit at least two alternative alignment along with their comparative statement.	प्रस्तावित समरेखण के साथ दो वैकल्पिक समरेखण के0एम0एल0 फाईल में प्रदर्शित कर दिया गया है। तथा तुलनात्मक विवरण संलग्न कर दिया गया है।
4	It is observed that muck dumping sites have been proposed exlusively on forest land. in this regard, a detailed report from DFO concerned, examining the feasibility of identifying muck dumping sites on non-forest land, shall be submitted.	आपके स्तर से होना है।

पंजी. सं. 6153
फ. सं. 12-1
दि. 07/03/26
प्रभाग - बद्रीनाथ वन प्रभाग

5	Further, the muck dumping area are not properly marked in the KML file. A revised KML file clearly indicating the muck dumping sites is required.	के0एम0एल0 फाईल में मलवा निस्तारण क्षेत्र को प्रदर्शित कर दिया गया है।
6	Before taking over the Compensatory Afforestation (CA) land, the State Forest Department shall ensure that the CA area has been properly fenced by the User Agency. The User Agency shall also submit an undertaking to this effect.	प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
7	The suitability certificate for the proposed CA land has not been submitted. It is requested to submit the site suitability certificate of CA land.	पुर्व से ही प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है।

अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0,लो0नि0वि0
थराली

पत्रांक /36सी0 /दिनांकित।

प्रतिलिपीः— सहायक अभियन्ता नि0ख0,लो0नि0वि0 थराली को सूचनार्थ एवं आवयश्क कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपीः— कनिष्ठ अभियन्ता नि0ख0,लो0नि0वि0 थराली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0,लो0नि0वि0
थराली

संलग्न क्र० 1

तुलनात्मक विवरण

कार्य का नाम :– जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के अन्तर्गत सिमली से नाखोली मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।

क0सं	मद का नाम	संरेखण सं0–1	संरेखण सं0 –2	संरेखण सं0 –3
1	2	3	4	5
1	मुख्य विशेषतायें एवं विवरण	मार्ग पक्के भागों से गुजरता है तथा मार्ग में वन सम्पदा न्यूनतम मात्रा में है। मार्ग के निर्मित होने पर इस क्षेत्र के ग्रमवासियों को यातायात की सुविधा एवं पर्यटन में वृद्धि होगी।	मार्ग पक्के भागों से गुजरता है तथा मार्ग में वन सम्पदा न्यूनतम मात्रा में है। मार्ग के निर्मित होने पर इस क्षेत्र के ग्रमवासियों को यातायात की सुविधा एवं पर्यटन में वृद्धि होगी।	मार्ग पक्के भागों से गुजरता है तथा मार्ग में वन सम्पदा न्यूनतम मात्रा में है। मार्ग के निर्मित होने पर इस क्षेत्र के ग्रमवासियों को यातायात की सुविधा एवं पर्यटन में वृद्धि होगी।
2	प्रस्तावित दृश्टिकोण से संरेखण की लम्बाई	2.15 कि0मी0	2.30 कि0मी0	2.714कि0मी0
3	वर्तमान यातायात के साधन	पैदल मार्ग एवं खच्चर मार्ग।	पैदल मार्ग एवं खच्चर मार्ग।	पैदल मार्ग एवं खच्चर मार्ग।
	भूमि	–	–	–
1	वन भूमि	1.94 कि0मी0	1.76 कि0मी0	2.00 कि0मी0
2	कृषि योग्य भूमि	0.21 कि0मी0	0.54 कि0मी0	0.714 कि0मी0
3	सूर्य प्रकाशित भूमि	2.15 कि0मी0	2.00 कि0मी0	1.90 कि0मी0
4	भू–स्खलन	शून्य	450मी0	शून्य
5	भूमि की संरचना	कठोर चट्टान व मिट्टी	कठोर चट्टान व मिट्टी	कठोर चट्टान व मिट्टी
6	बनस्पति	कृशि योग्य भूमि पर मुख्यतः स्थानीय फल, गेंहूँ, धान, दालें आदि होती है। वन भूमि में बांज के वृक्ष एवं झाड़ियां है ।	कृशि योग्य भूमि पर मुख्यतः स्थानीय फल, गेंहूँ, धान, दालें आदि होती है। वन भूमि में बांज अधिक मात्रा में है ।	कृशि योग्य भूमि पर मुख्यतः स्थानीय फल, गेंहूँ, धान, दालें आदि होती है। वन भूमि में बांज के अधिक वृक्ष एवं झाड़ियां है ।
7	मार्ग का ढलान	1:20, एवं 1:24	1:20, एवं 1:18	1:18, एवं 1:17
8	अनुप्रस्थ ढाल	शून्य	शून्य	शून्य
9 1–	सामान्य ढाल	सामान्य	सामान्य	सामान्य
2–	तीव्र ढाल	1:20	1:18	1:17
10 1–	कठोर चट्टान की लम्बाई	60:	60:	60:
2–	कोमल चट्टान की लम्बाई	40:	40:	40:
11	अस्थिर भूमि की लम्बाई	शून्य	50मी0	100मी0
12 1–	साधन – लकड़ी	उपलब्ध है।	उपलब्ध है।	उपलब्ध है।
2–	पत्थर	उपलब्ध है।	उपलब्ध है।	उपलब्ध है।
13	स्थानीय मजदूर	50: स्थानीय 50: बाहरी	50: स्थानीय 50: बाहरी	50: स्थानीय 50: बाहरी

J.E. AE

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
थराली (चमोली)

1	2	3	4	5
14	पानी का निकास	–	–	–
क	छोटा पुलिया	10 स्कपर	14 स्कपर	15 स्कपर
ख	कुल संख्या	10	14	15
ग	एच0पी0 बैण्ड	4.00	5.00	5.00
घ	बड़े पुल	1नं0 (48मी0)	1नं0 (54मी0)	1नं0 (60मी0)
ङ	कुल संख्या	1	1	–
	विस्तार	–	–	–
	वर्शा व जलवायु की दषा	वर्शा औसत जलवायु गर्म	वर्शा औसत जलवायु गर्म	वर्शा औसत जलवायु गर्म
15	लाभान्वित ग्रामों की संख्या	सिमली, नाखोली	सिमली, नाखोली	सिमली, नाखोली
16	वर्तमान मोटर मार्ग के निर्माणाधीन मोटर मार्ग का सम्बन्ध	सिमली सणकोट मोटर मार्ग	सिमली सणकोट मोटर मार्ग	सिमली सणकोट मोटर मार्ग
17	अनुमानित लागत	38.40लाख	42.60लाख	45.32लाख
18	कृशि एवं फल की दृश्टि	इस क्षेत्र की मुख्य कृशि सम्पदा जैसे गेंहूँ, धान, माल्टा, नींबू, आलू, दालें आदि स्थानीय उत्पादन को बाजार नारायणबगड़ पहुँचने में सुविधा मिलेगी।	इस क्षेत्र की मुख्य कृशि सम्पदा जैसे गेंहूँ, धान, माल्टा, नींबू, आलू, दालें आदि स्थानीय उत्पादन को बाजार नारायणबगड़ पहुँचने में सुविधा मिलेगी।	इस क्षेत्र की मुख्य कृशि सम्पदा जैसे गेंहूँ, धान, माल्टा, नींबू, आलू, दालें आदि स्थानीय उत्पादन को बाजार नारायणबगड़ पहुँचने में सुविधा मिलेगी।
19	वन सम्पदा का उपयोग	जड़ी–बूटी व वन सम्पदाओं का से क्षेत्रीय जनता लाभान्वित होगी।	जड़ी–बूटी व वन सम्पदाओं का निर्यात होने से क्षेत्रीय जनता लाभान्वित होगी।	जड़ी–बूटी व वन सम्पदाओं का निर्यात से क्षेत्रीय जनता लाभान्वित होगी।
20	खनिज एवं अन्य सम्पदा का उपयोग	उपलब्ध खनिजों का निर्यात होने से क्षेत्रीय जनता लाभान्वित होगी।	उपलब्ध खनिजों का निर्यात होने से क्षेत्रीय जनता लाभान्वित होगी।	उपलब्ध खनिजों का निर्यात होने से क्षेत्रीय जनता लाभान्वित होगी।
21	1– लाभ	मार्ग के निर्माण से उपरोक्त वर्णित ग्राम लाभान्वित होगा तथा जनता आर्थिक सामाजिक तथा षैक्षिक रुप से लाभान्वित होगी।	मार्ग के निर्माण से उपरोक्त वर्णित ग्राम लाभान्वित होगा तथा जनता आर्थिक सामाजिक तथा षैक्षिक रुप से लाभान्वित होगी।	मार्ग के निर्माण से उपरोक्त वर्णित ग्राम लाभान्वित होगा तथा जनता आर्थिक सामाजिक तथा षैक्षिक रुप से लाभान्वित होगी।
	2–हानि	नाप भूमि कम होने के कारण तथा गांववासियों के इस संरेखण से सहमत होने के कारण यह संरेखण उपयुक्त है।	नाप भूमि ज्यादा होने के कारण तथा गांववासियों के इस संरेखण से सहमत न होने के कारण यह संरेखण उपयुक्त नहीं है।	नाप भूमि तथा वन भूमी ज्यादा होने के कारण एवं गांववासियों के इस संरेखण से सहमत न होने के कारण यह संरेखण उपयुक्त नहीं है।

कनिष्ठ अभियन्ता
नि0ख0लो0नि0वि0,थराली

सहायक अभियन्ता
नि0ख0लो0नि0वि0, थराली

अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0लो0नि0वि0, थराली

संलग्नक-02

प्रमाण पत्र

कार्य का नाम :– जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के अन्तर्गत सिमली से नाखोली मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 0.310है0 सिविल, 1.322है0 वन पंचायत, कुल 1.632है0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तांतरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित सिविल भूमि पर प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा क्षेत्र की समुचित बाढ़बंदी अधिग्रहण से पूर्व कर दी जायेगी।

J.E

कनिष्ठ अभियन्ता
नि0ख0लो0नि0वि0,थराली

सहायक अभियन्ता
नि0ख0लो0नि0वि0, थराली

अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0लो0नि0वि0, थराली

सलग्नक-03

।। कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी पश्चिमी पिण्डर राजि नारायणबगड़।।

पत्रांक 1076 /12 नारायणबगड़, दिनांक, 20.04 /2026

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
बद्रीनाथ वन प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषयः– जनपद चमोली में सिमली से नाखौली तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.632 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक–4895/12–1 दिनांक–16.04.2026.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन करना है कि जनपद चमोली में सिमली से नाखौली तक मोटर मार्ग के निर्माण 1.632 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव में प्रस्तावित मोटर मार्ग के बिन्दु सं0–4 में चाही गई सूचना के सम्बन्ध में दिनांक–18.04.2026 को याचक विभाग के साथ अनुभाग अधिकारी फारकोट के द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया, संयुक्त निरीक्षण के समय यह देखा गया कि मक डम्पिंग स्थल निम्न क्षेत्रों में चयनित किया गया है जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

क0 सं0	क्षेत्र का नाम	मक डम्पिंग हेतु उपलब्ध क्षेत्र (है0में)	जी0पी0एस0 रीडिंग	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	वन पंचायत सिमली	0.074	30° 09' 58.83" N 79° 25' 11.84" E	क्षेत्र वृक्ष विहिन है।
2	वन पंचायत सिमली	0.100	30° 09' 53.60" N 79° 25' 16.40" E	क्षेत्र वृक्ष विहिन है।
3	सिविल वन नाखौली	0.100	30° 09' 37.63" N 79° 25' 08.52" E	क्षेत्र वृक्ष विहिन है।
	योगः–	0.274		

अतः जांच ऑख्या महोदय की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

वन क्षेत्राधिकारी
पश्चिमी पिण्डर राजि
नारायणबगड़।

सेवा में,

श्रीमान वन क्षेत्राधिकारी महोदय
पश्चिमी पिण्डर रेंज नारायण बगड़,

विषय:- जनपद चमोली में सिमली से नारखोली तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.632 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में,

सन्दर्भ:- कार्यालय पत्रांक:- 983/12 दि० 22/3/26 एवं पत्रांक- 1069/12 नारायण बगड़ दि०- 16/4/2026,

महोदय,
उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों के क्रम में प्रार्थी द्वारा याचक विभाग से समन्वय स्थापित कर आज दि०- 18/4/2026 को वन पंचायत सिमली के अन्तर्गत पड़ने वाले मोटर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया गया,

श्रीमान प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय पत्रांक:- 4895/12-1 दि०- 16/4/2026 के अनुपालन में संलग्न पत्र में (7) बिन्दुओं में से बिन्दु संख्या (4) में उपरोक्त चाही गयी सूचना के उद्देश्य से प्रस्तावित मोटर मार्ग एवं डम्पिंग स्थलों का निरीक्षण किया गया डम्पिंग स्थल का भली भांति निरीक्षण कर जांच आख्या प्रेषित,

1:- सिमली से नारखोली तक मोटर मार्ग लम्बाई:- 2.150 कि० मी० के अन्तर्गत मलवा निस्तारण क्षेत्र न होने के कारण डम्पिंग स्थलों का चयन किया गया है,

2:- सिमली से नारखोली तक मोटर मार्ग के समीपस्थ काश्तकारों की नापभूमि होने के कारण अन्यत्र मलवा निस्तारण क्षेत्र न होने के कारण वन पंचायत के रिक्त बंजर भूमि स्थानों को डम्पिंग स्थलों को निर्माण हेतु चयनित किया गया है, डम्पिंग स्थलों के फोटोग्राफ्स संलग्न मय G.P.S रीडिंग जांच आख्या प्रस्तुत है,

अतः महोदय की सेवा में उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों की जांच आख्या प्रथम चार प्रेषित,

संलग्न:- 1- मौका स्थल संयुक्त जांच रिपोर्ट,
2- फोटो ग्राफ्स,
3- K.M.L. फाईल की प्रति,

जयपाल सिंह भण्डारी
उप वन क्षेत्राधिकारी
फारकोट अनु० अधिकारी
दिनाँक 18/4/26

1- मक डम्पिंग क्षे० फ० = 0.074 है० वन पंचायत सिमली वृक्ष विहीन क्षेत्र,
G.P.S रीडिंग - 30° 09' 58.83"N
79° 25' 11.84"E

2- मक डम्पिंग क्षे० फ० = 0.100 है० वन पंचायत सिमली वृक्ष विहीन क्षेत्र,
30° 09' 53.6"N
79° 25' 16.4"E

3- मक डम्पिंग क्षे० फ० = 0.108 है० नारखोली सिविल वृक्ष विहीन क्षेत्र,
30° 09' 37.63"N
79° 25' 08.52"E

जयपाल सिंह भण्डारी
उप वन क्षेत्राधिकारी
फारकोट अनु० अधिकारी
दिनाँक ....

Scanned with OKEN Scanner

फर्द मौका निरीक्षण

आज दिनांक - 18/04/2026 को सिमली से चमोली तक मोटर मार्ग के निर्माण वन भूमि हस्तान्तरण मोटर मार्ग के लं० 2.150 किमी के अंर्तगत वन विभाग एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसके अंर्तगत मोटर मार्ग की लं० 2.150 किमी के अंर्तगत पड़ने वाले मलवा निस्तारण क्षेत्र मोटर मार्ग 0. से 2.150 किमी के अंर्तगत अन्यत्र मलवा निस्तारण क्षेत्र उपलब्ध न होने के कारण एवं (सिमली वन पंचायत) मलवा मात्राओं की नाप भूमि होने के कारण मलवा निस्तारण क्षेत्र चयनित किये गये हैं।

जयपाल सिंह भण्डारी
उप वन क्षेत्राधिकारी
फारकोट अनु0 अधिकारी
दिनांक 18/04/26

J.E
18/04/26

व० आ०
ईश्वर महरे
व० आ०

18/04/26
A.E. PWD

संलग्नक-4

Attachement 2.10

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम : सिमली से नाखोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.310 हे0 सिविल, 1.322 हे0 वन पंचायत, कुल 1.632 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित कुलिंग सिविल खसरा सं०-330 खाता सं०-15 स्थल वृक्षारोपण हेतु सर्वदा उपयुक्त है।

वन क्षेत्राधिकारी
पश्चिमी पिण्डार रा०

वन क्षेत्र अधिकारी
पूर्वी पिण्डर वन क्षेत्र देवाल
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर

20/8/2022
(गबर सिंह किन्र)
वा०द०
अनु० कार्या० मुन्दोली